उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN,
LUCKNOW-226001

पत्रांकः 143-/उनिलि/प्रशि./ प्रशि.नीति /2013 दिनांक : मई,15, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निगम कार्मिकों हेतु निगमादेश सं0 720/उनिलि/प्रशि., दिनांक 27 नवम्बर, 2002 द्वारा लागू प्रशिक्षण नीति के बिन्दु सं0–8, मानव संसाधन विकास योजना (शैक्षिक उच्चीकरण प्लान) के अन्तर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' कार्मिकों को अर्हताएं प्राप्त करने के लिए कर्मचारी विकास योजना एवं इंजीनीयरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए आईटीआई की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने की योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(अ) अर्हताएं प्राप्त करने के लिए कर्मचारी विकास योजनाः–
निम्नलिखित अर्हताएं प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं–

I) 8वीं कक्षा के समकक्ष अर्हता
II) मैट्रिक कक्षा के समकक्ष अर्हता

(क) ऐसे कर्मचारी, जो कम से कम कक्षा 5वीं/8वीं की अर्हता रखते हों, कमशः उपरोक्त योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें कारपोरेट प्रशिक्षण इकाई में आवेदन देकर रजिस्टर करना पड़ेगा, तत्पश्चात् ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ख) कक्षा 8वीं/मैट्रिक के समकक्ष अर्हता प्राप्त करने के लिए कार्मिकों को ताप विद्युत गृह पर किसी विद्यालय (राज्य शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध) अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राज्य शिक्षा बोर्ड के अधीन पाठ्यकमों के लिए पंजीकरण शुल्क और शिक्षा शुल्क के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर निगम द्वारा प्रथम दो प्रयासों के लिए 50% तक की जायेगी।

(घ) यदि प्रथम दो प्रयासों में कार्मिक उत्तीर्ण हो जाता है तो इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा बाकी 50% शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

ब) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए आईटीआई की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने की योजना–

उद्देश्य : आईटीआई योग्यता वाले कार्मिकों के कुशलता स्तर का उन्नयन करना और उनके जीवनवृत्ति विकास में सहायता करना।

सीमा क्षेत्र : आईटीआई योग्यता प्राप्त निगम कामिकों को, जिनकी आयु 55 वर्ष तक हो।

वित्तीय सहायता : रू015,000/-तक के शुल्क पर कर्मचारियों को पहले 30% का वहन करना है। रू0 10,500/- तक सीमित वार्षिक शुल्क का शेष भाग निगम द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। कार्मिक द्वारा वहन की गई रू0 15,000 के 30 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति भी निगम द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्मिक को कारपोरेट प्रशिक्षण इकाई में आवेदन देकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तत्पश्चात् ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 143 /उनिलि/प्रशि./प्रशि.नीति/2013 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक कार्मिक/तकनीकी/वित्त, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, वित्त, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, मानव संसाधन/पीपीएमएम/तापीय परिचालन/जानपद/ईंधन/वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा, आर.एण्ड एम., उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उनिलि।
6. कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा, कैश प्रबन्धन इकाई, उनिलि।
8. निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा, सोनभद्र।
9. अधीक्षण अभियन्ता, मा0सं0-02/03/प्रशिक्षण, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कट फाइल।

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता (कार्पो.स्ट्रेटीजी)